न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/5656/2005/सवाईमाधोपुर

1. भागचन्द
2. बजरंगलाल

–पुत्रान दुर्गालाल, जाति बैरवा, निवासीगण ग्राम मलारना चौड़, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर

–अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

1. मु. शांति
2. मु. अमरी

– पुत्रियां रामपाल, जाति बैरवा, निवासीगण ग्राम मलारना चौड़, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर

– प्रत्यर्थीगण/वादीगण

खण्ड पीठ
श्री सी. आर. मीणा, सदस्य
श्री आर. डी. मीणा, सदस्य

उपस्थित–

श्री वी.पी. सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री एल.एस. माथुर, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 13–10–2022

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–10–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सवाईमाधोपुर के समक्ष

प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 व 53 के तहत ग्राम मलारना चौड़ स्थित आराजियात 2593 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 4157 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 4155 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 4178 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 4176 रकबा एक बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रतिवादी दुर्गा के विरूद्ध पेश किया है। उक्त वाद की विचारण की कार्यवाही में बावजूद तामील प्रतिवादी अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध आदेश दिनांक 25–09–2000 को नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही सम्पादित हुई। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने उक्त वाद में उपलब्ध रिकार्ड व गवाहन के बयानात के परीक्षण उपरान्त वाद पत्र में अंकित आराजियात कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि के संबंध में वादीगण को 1/2 का हिस्सेदार खातेदार घोषित किए जाने की डिक्री दिनांक 30–07–2001 पारित की। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी दुर्गालाल ने मियाद से बाधित प्रथम अपीलीय न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने अपील में कारित विलम्ब को क्षमा करते हुए निर्णय दिनांक 07–06–2003 पारित किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त निर्णय इस आशय के साथ पारित किया कि प्रकरण को तहत न्यायालय के समक्ष साक्ष्य सबूत लेकर प्रतिवादीगण को सुनवाई अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के अनुसरण में मामले में विचारण न्यायालय उपजिला कलेक्टर बोली ने पुनः विचारण प्रारम्भ किया, उक्त कार्यवाही में प्रतिवादीगण बावजूद तामील के न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध पुनः एकपक्षीय कार्यवाही संस्थित की गई। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन वाद में पुनः विचारण करते हुए उपलब्ध रिकार्ड व मौखिक साक्ष्य के आधार पर आज्ञा दिनांक 06–06–2005 पारित की। विचारण न्यायालय ने उक्त निर्णय

इस आशय के साथ पारित किया कि **''ग्राम मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर में स्थिति आराजी खसरा संख्या 2539 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 4155 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 4157 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 4178 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 4172 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 4174 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 4223 रकबा 14 बिस्वा में वादीगण को 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त नम्बरान पर वादीगण का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज कर तकासमा स्कीम दोनों पक्षों की मौजूदगी में बनाई जाकर भेजी जावे। प्रारम्भिक डिक्री जारी हो''**। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी दुर्गालाल के कायममुकामान ने प्रथम अपीलीय न्यायालय सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील पेश किए जाने पर उभयपक्ष की बहस सुनकर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 26-10-2005 पारित करते हुए आलोच्य अपील को खारिज कर तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने अपील के संबंध में उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को त्रुटिपूर्ण बताते हुए खारिज करने का निवेदन किया है। उनका कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलार्थीगण को विधि के प्रावधनों के तहत समुचित रूप से सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थीगण का वाद वास्ते बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् था जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि केवल रिकार्डेड खातेदार ही बंटवारा कराने का अधिकारी होता है। प्रस्तुत प्रकरण में न तो

प्रत्यर्थीगण वादग्रस्त भूमि की कभी रिकार्डेड खातेदार ही दर्ज रही और न ही प्रत्यर्थीगण वादग्रस्त भूमि को स्व. मांग्या की भूमि होना एवं पैत्रिक भूमि होना किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर सकी। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा किसी भी आधार पर चलने योग्य नहीं था। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रतिप्रेषण आदेश में विवादित आराजी के पैतृक होने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य लिया जाना निश्चित किया था किन्तु अपीलीय न्यायालय ने उक्त बिंदु के संबंध विधि अनुसार निर्णय पारित नहीं कर अनियमितता की है। उनका आगे कथन है कि विवादित भूमि को पैतृक भूमि साबित करने का दायित्व वादीगण पर था, जिसके बाबत उनके द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। उनका तर्क है कि मूल वाद की कार्यवाही में विचारण न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया है जो कि वर्तमान में प्रचलित विधिक सिद्धान्तों के विपरीत है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि के सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किए हैं, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–10–2005 एवं उपजिला कलेक्टर बोली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06–06–2005 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 2022 डब्ल्यूएलसी एचसी 547, 2020 आरआरटी 533, 2015 आरबीजे 334, 2014 आरआरडी 302, 2002 आरआरटी 502, 1960 एआईआर 100, 1978 एआईआर 533, 1994 एआईआर 209, 2006 आरआरडी 776 एवं 1996 आरआरडी 538 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किए।

5. इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने प्रस्तुत अपील का विरोध करते हुए मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया है। उनका कहना है विवादित आराजी पैतृक सम्पति

है, इस कारण अपीलार्थी को भूमि का विक्रय करने कि अधिकारिता प्राप्त नहीं है। यही नहीं अपीलार्थी द्वारा जिस भूमि का बेचान किया गया है। उसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है। उनका आगे कहना है कि वाद के समर्थन वादीगण ने पर्याप्त व समुचित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश किये है। उनका तर्क है कि विवादित आराजी संयुक्त परिवार की होने से वादीगण का 1/2 हिस्सा था, जिसे गलत रूप से प्रतिवादीगण द्वारा बेचान किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजी पैतृक सम्पति होने बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उनका आगे यह तर्क है कि वादीगण से प्रस्तुत अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादीगण के दादा की खातेदारी में दर्ज थी, चूंकि रामपाल मांग्या का जाईन्दा पुत्र है और वादीगण रामपाल की पुत्रियां है। इस कारण विरासत से वादीगण प्रश्नगत आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी है। उनका यह कथन है कि विवादित आराजी को प्रतिवादीगण द्वारा बेचान किए जाने की स्थिति में ही वादीगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण ऐसे निर्णयों में जरिये द्वितीय अपील किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज कर मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित किए गए निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री व उपलब्ध रिकार्ड से परिभाषित होता है कि वादीगण ने प्रश्नगत आराजी के संबंध में अधिनियम की धारा 188 व 53 का वाद प्रतिवादी दुर्गा के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद की कार्यवाही में विचारण न्यायालय उपजिला कलेक्टर बोली के समक्ष सम्यक तामील के बावजूद प्रतिवादीगण के

अनुपस्थित रहने के कारण आलोच्य वाद में एकपक्षीय कार्यवाही सम्पादित की गई है। तदनुसार मूल वाद की कार्यवाही में जवाबदावा पेश नहीं हुआ है। अतः हमारे मतानुसार ऐसे वाद में विवाद्यकों की संरचना की जाकर उनको विवेचित किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः मूल वाद की कार्यवाही में प्रतिवादी का जवाब पेश नहीं होने की स्थिति में विचारण न्यायालय ने बिना विवाद्यक कायम किए वाद में विनिश्चय प्रदान किया है, जो कि उचित है। प्रस्तुत मामले में वादीगण के स्थायी निषेधाज्ञा व बंटवारे के वाद में विचारण न्यायालय ने आज्ञा दिनांक 06-06-2005 इस आशय के साथ पारित की है कि **"ग्राम मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर में स्थिति आराजी खसरा संख्या 2539 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 4155 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 4157 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 4178 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 4172 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 4174 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 4223 रकबा 14 बिस्वा में वादीगण को 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त नम्बरान पर वादीगण का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज कर तकासमा स्कीम दोनों पक्षों की मौजूदगी में बनाई जाकर भेजी जावे। प्रारम्भिक डिक्री जारी हो"**।

8. विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय का विधायिका की भावना के अनुसरण में परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि वादीगण ने अपने वाद में वाद पत्र में उल्लेखित विवादित आराजियात के संबंध में घोषणा संबंधी किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा है, इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आराजी बाबत घोषणा की डिक्री जारी कर दी है, जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत होना परिभाषित होता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय न्यायालय के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत विचाराधीन अपील में न्यायालय ने विवादित आराजियात के पैतृक सम्पत्ति होने के बिन्दु तथा प्रतिवादीगण से साक्ष्य व सबूत लेकर उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिए जाने के क्रम में विधि सम्मत निर्णय पारित

करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है, परन्तु प्रतिप्रेषण की कार्यवाही में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में भूमि के पैतृक होने संबंधी बाबत किसी प्रकार का मत व्यक्त नहीं किया है। इसके अतिरिक्त वादीगण के वाद को विचारण न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य को आधारित करते हुए अपना विनिश्चय प्रदान किया है। इस बाबत यहां यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय साक्ष्य का मोहताज है तथा अपूर्ण व अपर्याप्त साक्ष्य के पारित किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण होना माना जाता है। यहीं नहीं रेकार्ड से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदी एवं अन्य किसी भी राजस्व दस्तावेजों में विवादित आराजी के क्रम में वादीगण के नाम के अंकन का स्पष्ट रूप से अभाव है। दावे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण ने अपने वाद में प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबंद किए जाने का अनुतोष चाहा है कि वादी के हिस्से की भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को किसी प्रकार अन्तरण नहीं करें तथा वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जेकाश्त व उपयोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। उक्त अंकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने अपने वाद में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है तथा इसके विपरीत विचारण न्यायालय ने वादीगण के पक्ष में घोषणा मौखिक साक्ष्य के आधार पर आराजी की घोषणा वादीगण के पक्ष में जारी कर दी, जों कि अनियमित एवं उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत है। उक्त समस्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06-6-2005 त्रुटिपूर्ण होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

9. अपीलार्थीगण ने आक्षेप उठाया कि मूल वाद की कार्यवाही में प्रतिवादीगण को समुचित रूप से साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं करते हुए एकपक्षीय कार्यवाही कर विचारण न्यायालय ने अनियमितता की है। इस बाबत उल्लेखनीय है कि मूल वाद की कार्यवाही में प्रतिवादीगण को विधि के प्रावधानों के तहत समुचित रूप से तामीली किए जाने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखने की स्थिति में ही उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही संस्थित की गई है,

जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा इस बाबत लिया गया आक्षेप निराधार होना पाया जाता है।

10. उल्लेखनीय है कि मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चयों को विधि सम्मत मानते हुए विचाराधीन अपील को आक्षेपित निर्णय व डिक्री द्वारा खारिज किया है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होना पाया गया है। उक्त स्थिति के आलोक में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उपलब्ध रेकार्ड व विधि के प्रावधानों के विपरीत होना निर्धारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थीगण ने अपने तर्को के समर्थन में जिन न्यायिक दृष्टान्तों का अवलम्बन लिया है उनमें मुख्यतया समवर्ती निष्कर्षो को परिभाषित किया है। इस बाबत उल्लेख किया जाता है कि यह न्यायालय प्रस्तुत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी व्याख्या को विधि के विरूद्ध घोषित किए जाने की स्थिति में पेश किए न्यायिक दृष्टान्त अप्रासंगिक है। सांराशतः प्रस्तुत द्वितीय अपील में तथ्य एवं विधि का बिन्दु निहित होने के कारण इसे आंशिक स्वीकार कर प्रकरण में ऊपर की गयी व्याख्या के क्रम में अर्थात् भूमि के पैतृक होने एवं विवादित आराजियात की घोषणा बाबत सम्पूर्ण अभिलेख प्राप्त कर पुनः निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना समीचीन है।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26-10-2005 एवं उपजिला कलक्टर बौली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06-6-2005 को खारिज किया जाता है। इसके साथ ही प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया है कि न्यायालय वादीगण द्वारा दायर किए गए वाद में ऊपर की गयी व्याख्या यथा भूमि

के पैतृक होने तथा आराजी की घोषणा बाबत वांछित शेष सम्पूर्ण अभिलेख प्राप्त कर उनका विधिक परीक्षण कर तथा उभयपक्ष को सुनते हुए उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.डी.मीणा)
सदस्य

(सी.आर.मीणा)
सदस्य